रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112023-250310
CG-DL-E-29112023-250310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 683] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2023/अग्रहायण 8, 1945
No. 683] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2023/AGRAHAYANA 8, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 866(अ).— केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिनों की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा jspp-dac@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (i)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (आठवां संशोधन) नियम, 2023 है।

(ii) यह राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 10 में, उप-नियम (3क) के खंड (i) में, पहले परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक को समाविष्ट किया जाएगा:

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति जो केवल ग्लाइफोसेट और उसके संजातो का उपयोग करके कीट नियंत्रण कार्यों हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन करता है और यदि लाइसेंसिंग अधिकारी ने तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद उसे लाइसेंस नहीं दिया है तो उसे लाइसेंस प्रदान किया हुआ माना जाएगा ।

परन्तु यह भी कि व्यक्ति को केवल ग्लाइफोसेट और उसके संजातो का उपयोग करने वाले संचालन के सभी स्थानों के लिए एक हजार रुपये के शुल्क के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

[फा. सं. 13035/19/2019-पी.पी-I]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1650 (अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 827 (अ) दिनांक 9 नवंबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2023

G.S.R. 866(E).—The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 or through email at jspp-dac@gov.in.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Insecticides (Eighth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in Rule 10, in clause (i) of sub-rule (3A), after the first proviso, following proviso shall be inserted:

Provided that a person who applies for grant of licence to undertake pest control operations with the use of Glyphosate and its derivatives shall be deemed to have granted a licence if the licensing officer did not grant him licence after expiry of a period of thirty days from the date of submission of his application.

Provided also that the person shall apply for licence with a fee of one thousand rupees for all places of operation using glyphosate and its dertivatives only.

[F. No. 13035/19/2019-PP-I]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650 (E), dated the 19th October, 1971 and was amended vide G.S.R 827 (E) dated 9th November, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.11.29 21:59:29 +05'30'